अकादमी विभाग

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विद्या परिषद् की छठवीं (आपात) बैठक की कार्यवृत्त
दिनांक 03/05/2011

स्थान – विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की छठवीं (आपात) बैठक का कार्यवृत्त

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्या परिषद् की छठवीं (आपात) बैठक दिनांक 03.05.2011 को मध्यान्ह 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय के कक्ष क्रमांक 10 में कुलपति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। निर्धारित कोरम के अभाव में बैठक आधे घंटे स्थगित कर पुनः प्रारंभ की गई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. ए. आर. चन्द्राकर** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,
   बिलासपुर

2. **श्री हरीश केडिया** – सदस्य
   अध्यक्ष
   छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ
   बिलासपुर (छ.ग.)

3. **डॉ. अशोक पारेख** – सदस्य
   पूर्व अध्यक्ष
   छ.ग.निजी विश्वविद्यालय विनायामक आयोग
   रायपुर (छ.ग.)

4. **श्री बनवारी लाल अग्रवाल** – सदस्य
   पूर्व उपाध्यक्ष
   छत्तीसगढ विधानसभा
   दुरपा रोड, कोरबा (छ.ग.)

5. **डॉ. श्रीमती इन्दु अनंत** – सचिव
   कुलसचिव
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,
   बिलासपुर (छ.ग.)

बैठक में सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु प्रस्तुत किया गया –

क्रमशः – 2

प्रस्ताव क्रं 1 विद्या परिषद् की पंचम (आपात) बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

निर्णय – विद्या परिषद द्वारा पंचम (आपात) बैठक के कार्यवृत्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 02 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रं. 10 में विसंगति पर विचार।

निर्णय विद्या परिषद् के द्वारा अध्यादेश क्रं. 10 (बी.ए.) में विसंगति दूर करते हुये प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 10 (ए) (बी.ए.) को अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 03 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रं. 11 में विसंगति पर विचार।

निर्णय विद्या परिषद् के द्वारा अध्यादेश क्रं. 11 (बी.एस–सी.) में विसंगति दूर करते हुये प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 11 (ए) (बी.एस.–सी.) को अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 04 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रं. 12 में विसंगति पर विचार।

निर्णय विद्या परिषद् के द्वारा अध्यादेश क्रं. 12 (बी.काम.) में विसंगति दूर करते हुये प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 12 (ए) (बी.काम.) को अनुमोदित किया गया।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत प्रस्ताव –</u>

प्रस्ताव क्रं. 05 प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय का अध्ययन/परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय कुलसचिव के द्वारा यह जानकारी दी गई कि अधिनियम प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। वर्तमान में प्रदेश के सभी 18 जिलों के 146 विकासखंडो में 154 अध्ययन केन्द्र सचांलित है, जो कि अस्थाई रूप से विभिन्न विभागों के शासकीय भवनों में संचालित है।

विश्वविद्यालय की संपर्क कक्षाओं एवं संत्रात परीक्षाओं (सैद्वांतिक एवं प्रायोगिक) के आयोजन के समय कुछ महाविद्यालयों के द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर असहमति व्यक्त की थी क्योंकि सम्बद्व विश्वविद्यालय ने उन्हे इसकी अनुमति प्रदान नहीं की थी।

विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा संचालनालय एवं प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो से अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु सहमति चाही

थी, जिनमें से लगभग 39 महाविद्यालयो के प्राचार्यो ने अपनी सहमति प्रदान की है।

इंदिरा गांधी राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र शासकीय महाविद्यालयों में आज भी संचालित है। इग्नू एवं म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय के पैटर्न पर ही शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययन केन्द्र का संचालन किया जाना प्रस्तावित है, इस कार्य हेतु अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों के अनुसार ही उन्हे निर्धारित मासिक मानदेय प्रदाय किये जाने का प्रस्तावित है।

सम्मानीय सदस्य श्री बनवारी लाल अग्रवाल का सुझाव था कि महाविद्यालयों में अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही हेतु प्रयास करना चाहिये।

सम्मानीय सदस्य श्री हरीश केडिया का सुझाव था कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना दूरस्थ अंचल जहां उच्च शिक्षा का प्रचार–प्रसार नहीं हो पाया है या किन्ही कारणों से वहां रहने वाले लोग उच्च शिक्षा से वंचित है, वहां विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र अवश्य स्थापित किये जायें, इस हेतु शासकीय विद्यालयों में भी अध्ययन केन्द्र का संचालन किया जावें।

चर्चा उपरांत अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र शासकीय महाविद्यालयों में संचालित किये जायें तथा आवश्यकतानुसार विशेष परिस्थिति में निजी महाविद्यालयों में भी संचालित किये जा सकेंगें। इन महाविद्यालयों के संचालन हेतु मासिक व्यय का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से ले ली जावे।

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।

(डॉ इन्दु अनंत)
कुलसचिव

(डॉ. ए.आर.चन्द्राकर)
कुलपति